OV. 06 2009 12:49PM P1

493 म०
16.4.09.

R.NO
169
28.10.09

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांक 18.6.2009

विषय :- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ([illegible]) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–18 पर बढ़ई जाति अंकित है अथवा शामिल है, को उस स्थान से विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के अंत में क्रमांक–113 पर शामिल करने के संबंध में ।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है । बिहार अधिनियम 12, 1993 धारा–9(1) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे । उक्त अधिनियम की धारा–9(2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी ।

2. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–9(1) के तहत राज्य सरकार को सलाह दी है कि "राज्य के पिछड़े की सूची (पिछड़े वर्गों की अनुसूची–2) के क्रमांक–18 पर दर्ज बढ़ई जाति को विलोपित किया जाय और बढ़ई जाति को अति पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में स्वतंत्र रूप से समाविष्ट/शामिल किया जाय ।"

3. अतः राज्य सरकार ने भली–भाँति विचार करने के उपरांत निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम 3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–18 पर बढ़ई जाति अंकित है अथवा शामिल है, को उस स्थान से विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के अंत में क्रमांक–113 पर शामिल किया जाय ।

उक्त विलोपन के फलस्वरूप उपर्युक्त जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला परिषद, नगर पालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में अत्यंत पिछड़े वर्गों की (अनुसूची–1) को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधाएँ अनुमान्य होगी ।

आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया और इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग बिहार, पटना/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधानसभा, बिहार, पटना/बिहार विधान परिषद, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सरयुग प्रसाद)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– 11/वि.10–अ.पि.व.आ.–04/08का. 2844 /पटना–15, दिनांक 12-6-2009

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ मुद्रित कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– 11/वि.10–अ.पि.व.आ.–04/08का. 2844 /पटना–15 दिनांक 12-6-2009

FAX NO. : Nov. 06 2009 12:50AM P2

... वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधानसभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक 1485, दिनांक – 18.11.09

प्रतिलिपि – जिला कल्याण पदाधिकारी सारण छपरा/अनुमण्डल पदाधिकारी सदर छपरा/मढ़ौरा/सोनपुर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सारण जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/11/09

कृते जिला पदाधिकारी सारण, छपरा

R.No 469 28.10.